नम्बर
अहका
हुक्म व
जा

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :—03 / 51 / 2021 ऑन लाईन नम्बर:—2021 / 266 प्रवेश तिथि:—03.09.2021

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

.............प्रार्थी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण।
2. गजानन्द पुत्र मंगलराम।
3. गोपाल पुत्र मंगलराम।
4. बाबू पुत्र मंगलराम।
5. रामनारायण पुत्र मंगलराम जातियान निवासीयान ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर।

...........अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित— तहसीलदार राजगढ—प्रार्थी

—:निर्णय:— **दिनांक 05.02.2026**

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की हाल आराजी खसरा संख्या 33 / 0.28, 35 / 0.34 है0 वाके ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त विवादीत आराजी का खातेदारी अप्रार्थी कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि है। जिसे अप्रार्थी के द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किस्म परिवर्तित कर दुकान बनाकर जमीन को खर्दु—बुर्द कर रहे है। जिसका अप्रार्थी को हक नही हे। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के कानूनी प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। जिसे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। अप्रार्थी द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब अप्रार्थी को जमीन से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायाचित है। प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय के लिए मुखासमत दिनांक 03.09.2021 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी से के अवैध रूप से दुकान बनाने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। तहसीलदार राजगढ को पटवारी हल्का से दिनांक 25.05.2021 को इस आश्य की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि बिना सक्षम स्वीकृति के हाल आराजी खसरा संख्या 33 / 0.28, 35 / 0.34 है0 वाके ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर पर अवैध दुकान बनाकर व्यवसायिक / अकृषि उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थी के द्वारा कृषि भूमि समपरिवर्तन करने की कोई सक्षम स्वीकृति प्राप्त नही की गई है। तथा मौके पर यह भूमि अब पुनः कृषि उपयोग में लेने योग्य नही रही है। ना ही कृषि भूमि का स्वरूप बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है। जिससे राज्य सरकार को को राजस्व हानि हुई है। अन्त में प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी से अप्रार्थी को बेदखल व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बाद सुचना तामिल उपस्थित नही आने की स्थिति में उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 असालतान वकालतान उपस्थित न्यायालय आये। लेकिन उनके द्वारा जवाब पेश नही किया इसलिए उनका जवाब बंद किया गया। प्रार्थी तहसीलदार राजगढ़ ने साक्ष्य हेतु पटवारी हल्का व गिरदावर के साक्ष्य पेश किये जिसके बयान लेखबद्ध किये गये जो शामिल मिसल है।

3. बहस प्रार्थी तहसीलदार राजगढ की सुनी गई। तहसीलदार राजगढ द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद की। और प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

4. बहस अप्रार्थी वकील की सुनी गई। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का मात्र खण्डन किया गया।

5. बहस प्रार्थी तहसीलदार राजगढ पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है। कि खातेदार अप्रार्थी द्वारा विवादित हाल आराजी खसरा संख्या 33/0.28, 35/0.34 है0 वाके ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ अर्थात कृषि योग्य भूमि का बिना विधिक प्रक्रिया की अनुपालना किये एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किये मौके पर तीन दुकानो का निर्माण बाबूलाल पुत्र पॉचूराम जाति ब्राहम्ण सा0 डांगरवाडा ने करके व्यवसायिक प्रयोजनार्थ काम लिया जा रहा है। पटवारी हल्का की मौका फर्द दिनांक 25.05.2021 से इस तथ्य की पुर्ण रूप से पुष्टि होती है। खातेदार द्वारा वाद सूचना तामील के न तो उक्त तथ्य का खण्डन किया है एवं ना ही अपने बचाव में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये है। खातेदार द्वारा विवादित आराजी कृषि भूमि पर दुकान बनाकर व्यवसायिक प्रयोग के रूप में अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की श्रेणी में आता है। तथा यह खातेदार की खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए बेदखल किए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी तहसीलदार राजगढ का प्रार्थना पत्र भली–भाती साबित होता है। अप्रार्थी खातेदार को विवादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुऐ विवादित आराजी से बेदखल करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करना विधि सम्मत प्रतीत होता है। अतः–

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत प्रार्थी तहसीलदार राजगढ का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित हाल आराजी खसरा संख्या 33/0.28, 35/0.34 है0 वाके ग्राम बाढ ढिगावडा *तहसील राजगढ जिला अलवर से अप्रार्थी किशनलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण, गजानन्द, गोपाल, बाबू, रामनारायण पुत्रान मंगलराम जातियान ब्राहम्ण के खातेदारी के अधिकार विलोपित करते हुए उक्त आराजी को सिवायचक खाता सरकार दर्ज करने के आदेश किये जाते है। साथ ही अप्रार्थी किशनलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण, गजानन्द, गोपाल, बाबू, रामनारायण पुत्रान मंगलराम जातियान ब्राहम्ण को उक्त आराजी से बेदखल किया जावे। तहसीलदार राजगढ को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी की जावे।*

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

यह आदेश आज दिनांक 05/02/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर